भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक–2044 दिनांक–07.03.2018 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–13.03.2018 में मद संख्या–09 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

9.	श्री शिवनन्दन साह, तत्कालीन सहायक अभियंता, अवर प्रमंडल संख्या–02, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित भवन निर्माण विभाग, पटना के विरूद्ध आय के ज्ञात श्रोत से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के संबंध में आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार, पटना द्वारा दर्ज आर्थिक अपराध थाना काण्ड संख्या–28/2013 दिनांक–11.07.2013 धारा–13(2)–सह–पठित धारा–(1)(e) के फलस्वरूप इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरापों के लिए "सेवा से बर्खास्तगी" के दण्ड की स्वीकृति के संबंध में।	9. स्वीकृत।

13.3.18
(उपेन्द्र नाथ पाण्डेय)
सरकार के विशेष सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

Scanned with OKEN

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि0सं0–भवन / 11 / आरोप(मुजफ्फरपुर)–10 / 2013 3815 (7) / पटना, दिनांक– 18/4/18

अधिसूचना

श्री शिवनन्दन साह, तत्कालीन सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमंडल संख्या–02, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय निरूपण अंचल संख्या–02, भवन निर्माण विभाग) के विरूद्ध आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार, पटना के द्वारा दर्ज आर्थिक अपराध थाना काण्ड संख्या–28 / 2013 दिनांक–11.07.2013 धारा–13 (2) एवं धारा–13 (1) (e), भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम–1988 के संदर्भ में पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार, पटना के पत्रांक–189 दिनांक–15.07.2013 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अधिसूचना संख्या–10212 दिनांक–25.07.2013 से निलंबित करते हुये आरोप प्रपत्र–"क" गठित कर अधिसूचना संख्या–14124–सह–पठित ज्ञापांक–14125 दिनांक–22.10.2013 के द्वारा निदेशक, अनुश्रवण–सह–मुल्याकन–सह–क्रय कोषांग, भवन निर्माण विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। (छायाप्रति संलग्न)

2. निदेशक अनुश्रवण, भवन निर्माण विभाग के ज्ञापांक–176 दिनांक–25.10.2016 के द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें श्री साह पर लगाये गये आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित प्रतीत होने का निष्कर्ष दिया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति प्रेषित करते हुये श्री शिवनन्दन साह, तत्कालीन सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमंडल संख्या–02, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय निरूपण अंचल संख्या–02, भवन निर्माण विभाग) से विभागीय पत्रांक–2749(भ0) दिनांक–30.03.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री साह द्वारा उनके पत्रांक–शून्य दिनांक–07.09.2017 द्वारा अपना द्वितीय कारण पृच्छा–उत्तर विभाग में समर्पित किया गया।

4. श्री साह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा–उत्तर के समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार, पटना के पत्रांक–189 दिनांक–15.07.2013 द्वारा प्रतिवेदित आरोप के अनुसार श्री साह की अनुमानित आय लगभग 60.00 लाख रूपये एवं अनुमानित व्यय लगभग 29.80 लाख रूपये है। तदनुसार अनुमानित बचत 30.20 लाख रूपये है जबकि श्री साह की अनुमानित अचल सम्पत्ति 76.24 लाख रूपये एवं अनुमानित चल सम्पत्ति 43,39,378 रूपये है। तदनुसार कुल सम्पत्ति 1,19,63,378 रूपये है। इस प्रकार श्री साह के द्वारा आय के ज्ञात श्रोत से 89,43,378 रूपये की अधिक सम्पत्ति अर्जित की गयी है तथा उनके द्वारा अपनी पत्नी की सम्पत्ति आदि की विवरणी सरकार को ससमय नहीं दी गयी थी। अतः श्री साह के द्वितीय कारण पृच्छा–उत्तर को असंतोषजनक पाते हुये प्रमाणित आरोपों के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 (xi) के तहत तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने के दण्ड प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त हुआ।

5. विभागीय पत्रांक–10455(भ0) दिनांक–24.11.2017 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी के अनुमोदित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग को सहमति / परामर्श हेतु भेजा गया। बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक–2661 दिनांक–01.02.2018 के द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति दी गयी।

6. तदोपरान्त श्री शिवनन्दन साह, तत्कालीन सहायक अभियंता, अवर प्रमंडल संख्या–02, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित, भवन निर्माण विभाग, पटना को आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार, पटना के द्वारा दर्ज आर्थिक अपराध थाना काण्ड संख्या–28 / 2013 दिनांक–11.07.2013 धारा–13 (2) एवं धार–13 (1) (e), भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम–1988 के आलोक में संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 नियम–14 (XI) में निहित प्रावधान के अनुसार सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर दिनांक–13.03.2018 को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त हुई।

कृ0पृ0उ0

(5728)

अतएव श्री शिवनन्दन साह, तत्कालीन सहायक अभियंता, अवर प्रमंडल संख्या–02, पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय कार्यवाही में प्रस्तावित आरोपों के लिये निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

(i) **तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

12/4/2018

(चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:–भवन/11/आरोप(मुजफ्फरपुर)–10/2013 पटना, दिनांक:– 3815(x) 18/4/18

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/पटना/सचिवालय कोषागार, (विश्वेश्वरैया भवन) पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/4/2018

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– भवन/11/आरोप(मुजफ्फरपुर)–10/2013 पटना, दिनांक:– 3815(x) 18/4/18

प्रतिलिपि:–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/उप सचिव, ई–गजट कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/4/2018

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– भवन/11/आरोप(मुजफ्फरपुर)–10/2013 पटना, दिनांक:–3815(x) 18/4/18

प्रतिलिपि:–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग/संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी उप सचिव/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मुजफ्फरपुर/भवन निरूपण अंचल संख्या–02, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, लेखा प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/4/2018

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– भवन/11/आरोप(मुजफ्फरपुर)–10/2013 पटना, दिनांक:– 3815(x) 18/4/18

प्रतिलिपि:–पुलिस महा निरीक्षक, आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/4/2018

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ०पृ०उ०

577

ज्ञापांकः– भवन/11/आरोप(मुजफ्फरपुर)–10/2013 पटना, दिनांकः– 3815 (भ) 18/4/18

प्रतिलिपिः–उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक–2881 दिनांक–01.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/2018

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– भवन/11/आरोप(मुजफ्फरपुर)–10/2013 पटना, दिनांकः– 3815 (भ) /18.4.18

प्रतिलिपिः–श्री शिवनन्दन साह, तत्कालीन सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमंडल संख्या–02, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित मुख्यालय निरूपण अंचल संख्या–02, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2018

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– भवन/11/आरोप(मुजफ्फरपुर)–10/2013 पटना, दिनांकः– 3815 (भ) 18/4/18

प्रतिलिपिः–सरकार के विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2018

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– भवन/11/आरोप(मुजफ्फरपुर)–10/2013 पटना, दिनांकः– 3815 (भ) /18.4.18

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/2018

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।